180

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1597—दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 27—04—2012 के द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 945/2009—10/निगरानी

.....

1— गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रणधीर सिंह,
2— बिन्ना बाई पत्नी श्री गजेन्द्र सिंह,
निवासीगण— ग्राम सेमरी, हाल मुकाम
पिपनावदा तहसील व जिला—अशोकनगर, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— वीर सिंह पुत्र माधौ सिंह,
निवासी— ग्राम सेमरी, हाल मुकाम
पिपनावदा तहसील व जिला—अशोकनगर

.....अनावेदक

.....

श्री नरोत्तम शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 20.9.2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 945/2009—10/ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 27—04—2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील अशोकनगर के ग्राम पिपनावदा में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 271 रकवा 3.941 है0 में से रकवा 3.105 है0 भूमि जिसके अभिलिखित भूमिस्वामी वल्देवसिंह द्वारा विवादित भूमि का विकय आवेदकगण तथा अनावेदक के हक में दिनांक 12—06—97 को किया गया। विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण किये जाने बावत

आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सिरसीपछार को पेश किया गया। ग्राम पंचायत सिरसीपछार द्वारा विवादित भूमि पर नामान्तरण पंजी कमांक 13 में पारित आदेश दिनांक 05.11.98 से आवेदकगण के हक में नामान्तरण प्रमाणित किया गया। अनावेदक द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश दिनांक 05.11.98 के विरूद्व अपील अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर को पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा प्रस्तुत अपील को पारित आदेश दिनांक 28.10.2009 से अवधि के अन्दर मान्य करते हुये प्रकरण अभिलेख के लिये नियत किया गया, तथा दिनांक 20.10.2009 को अनावेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2009 से परिवेदित होकर आवेदकगण ने निगरानी अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के समक्ष पेश की, जो प्रकरण कमांक 07/2009–10/ निगरानी माल पर दर्ज होकर पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 09.06.2010 से प्रस्तुत निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष पेश की, जिसमें प्रकरण क्रमांक 945/2009–10/निगरानी पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 27.04.2012 को अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करते हुये, निगरानी सारहीन होने से खारिज किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को भी पूर्णतः अनदेखा किया गया है कि कानून में अपील की परिसीमा मात्र 45 दिन दर्शायी गई है तथा अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा 10 वर्ष के पश्चात्र अपील प्रस्तुत की गई, इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए इतने लम्बे समय का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया एवं वर्ष 1998 से वर्ष 2009 तक अनावेदक द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस बावत भी अनावेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र तथा शपथ–पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकदम से अनावेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करने में घोर कानूनी भूल की गई है । संहिता की धारा 5 अवधि विधान अधिनियम में विधि के सारभूत सिद्धांत के अनुरूप दिन– प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है, जबकि विलम्ब से क्षमा चाहने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का स्पष्टीकरण दे, तभी यदि विलम्ब सद्भावना पर आधारित होना माना जाये तो ही

उस विलम्ब को क्षमा किया जा सकता है अन्यथा नहीं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक के आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान अधिनियम को मात्र शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया गया है, जबकि शपथ पत्र न तो साक्ष्य है और न ही विलम्ब को क्षमा किये जाने का कोई आधार। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत भी प्रतिपादित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदक की अपील जानकारी दिनांक से परिसीमा में होना मान्य की गई है, जबकि किसी भी अपील की परिसीमा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश दिनांक से होती है न की व्यक्ति विशेष की जानकारी की दिनांक से। उन्होंने तर्क में यह भी बताया कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 13.06.1997 को सम्पादित किया गया, तत्पश्चात नामांतरण आदेश दिनांक 05.11.1998 को पारित किया । उक्त संबंध में अनावेदक को पूर्ण जानकारी प्राप्त थी । इस बावत अनावेदक द्वारा कई वर्ष पूर्व भी अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, तब अनावेदक को जानकारी सन् 2009 में प्रथम बार होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । विधि का यह सारभूत सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति विहित परिसीमा के अदंर कोई कार्यवाही नहीं करता है, तब ऐसे स्थिति में उसके द्वारा अपने अधिकारों को यदि कोई हो स्वतः त्याग दिया जाना समझा जावेगा । वर्तमान प्रकरण में तो अनावेदक द्वारा अपना स्वंय का शपथ पत्र भी दिया जा चुका था, फिर भी पुनः इस प्रकार से अपने अधिकारों की मॉग किया जाना सर्वथा अनुचित है। उपरोक्त वर्णित कृर्षि भूमि पर सन् 1997 से ही कास्त करते रहे हैं तथा आज भी काबिज है एवं शुरू दिनांक से ही कभी अनावेदक का कोई कब्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके पक्ष में नामांतरण किये जाना या कोई कानूनी उपधारणा किया जाना विधि के सिद्वांतों के प्रतिकूल है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने अधिकारों की मॅाग की जाती है तो राजस्व न्यायालयों का यह परम कर्तव्य है कि वह अधिकारों संबंधी प्रश्न पर विचार न कर उसे सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दें, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अनावेदक प्रकरण को प्रथमदृष्टया मानने में भूल की है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती योग्य हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख से यह तथ्य प्रकट है कि विवादित भूमि का विक्रय अभिलिखित भूमिस्वामी बल्देव सिंह द्वारा आवेदकगण तथा अनावेक के हक में संपादित किया गया था । आवेदकगण तथा अनावेदक ने ग्रामपंचायत को संयुक्त रूप से विवादित भूमि पर नामांतरण किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया था । ग्रामपंचायत द्वारा आवेदकगण के हक में नामान्तरण स्वीकार किया गया और अनावेदक का नाम छोड़ दिया गया। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत सिरसीपछार को विक्रय पत्र में दर्शाये केताओं में से एक का नाम नामान्तरण में से कम किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अनावेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और उसे अपील करने का पूरा पूरा हक प्राप्त है। अपील मेमों के साथ अवधि विधान की धारा 05 का आवेदन पत्र भी पेश किया गया था। तथा शपथ पत्र भी पेश किया गया था। आवेदकगण ने भी शपथ पत्र के माध्यम से खण्डन किया, किन्तु खण्डन में ऐसा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया, जिसके आधार पर प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य माना जा सके। आवेदकगण को खण्डन साक्ष्य में विक्रय पत्र की प्रति पेश की जाना चाहिये थी। जिसमें अनावेदक का नाम है या नहीं स्पष्ट होता। अभी तो अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा अपील को सुनवाई के लिये प्रचलन योग्य माना है। अपील का निराकरण गुण दोष के आधार पर होना शेष है। आवेदकगण को सुनवाई का पूरा अवसर प्राप्त है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2009 तथा अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा पारित विचाराधीन आदेश दिनांक 09.06.2010 विधिसम्मत आदेश है और ऐसे विधि सम्मत आदेश को यथावत रखने में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। जो उचित प्रतीत होता है । अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2012 को यथावत रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने के कारण निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर